राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–10.07.2025 (गुरूवार) को अप0 04:30 बजे से अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कार्य हेतु अधिसूचित सभी SIA Unit के साथ (विचार–विमर्श) हुई बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति–पंजी के अनुसार।
2. अपर मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
3. भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत संचालित लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं के लिए की जाने वाली भूमि अर्जन की कार्रवाई में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) के कार्यो पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित S.I.A. Unit यथाः– एल0एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (LNMI), पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (CIMP), पटना, आद्री (ADRI), पटना एवं विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), पटना के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ S.I.A. के कार्यों को सुगमतापुर्वक तीव्रगति से करने के साथ–साथ उक्त कार्य हेतु दर का निर्धारण किये जाने के बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। ए0एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान (ANSISS), पटना, के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।
4. S.I.A. संस्थानों के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में सामाजिक प्रभाव आकलन के कार्य में मानक प्रक्रिया अपनाने, S.I.A. कार्य हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के रकवा के आधार पर दर का निर्धारण किये जाने एवं सभी S.I.A. संस्थानों को जिला आवंटित किये जाने के बिन्दु पर सहमति दी गयी, ताकि परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके।
5. सम्यक विचारोपरांत S.I.A. कार्य हेतु फीस की राशि का निर्धारण निम्नवत् किया गयाः–

क्र0सं0	रकवा वर्ग अंतराल (एकड़ में)	कार्य हेतु विनिश्चित की गयी राशि	अभ्युक्ति
01.	0.01 से – 1.00 तक	1,00,000.00+G.S.T	इसके अतिरिक्त 01.01.2026 के प्रभाव से प्रति वर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति दी गयी।
02.	1.00 से अधिक – 5.00 तक	2,00,000.00+G.S.T	
03.	5.00 से अधिक –10.00 तक	3,00,000.00+G.S.T	
04.	10.00 से अधिक –25.00 तक	5,00,000.00+G.S.T	
05.	25.00 से अधिक – 50.00 तक	7,50,000.00+G.S.T	
06.	50.00 से अधिक –100.00 तक	15,00,000.00+G.S.T	
07.	100.00 से अधिक –250.00 तक	25,00,000.00+G.S.T	
08.	250.00 से अधिक –500.00 तक	40,00,000.00+G.S.T	
09.	500.00 से अधिक	50,00,000.00+G.S.T	

6. उक्त के साथ–साथ किसी परियोजना विशेष के S.I.A. कार्य हेतु पटना को केन्द्र मानते हुए 100 किमी0 से अधिक की दूरी के लिए मो0–25,000/–रूपये एवं 200 किमी0 से अधिक की दूरी के लिए मो0– 50,000/– रूपये का एकमुस्त अतिरिक्त भुगतान किये जाने पर भी सहमति दी गयी।
7. S.I.A. कार्य का ड्राफ्ट प्रतिवेदन 15–45 दिनों में उपलब्ध कराने तथा अंतिम प्रतिवेदन 60–90 दिनों में उपलब्ध कराये जाने पर S.I.A. संस्थानों द्वारा सहमति दी गयी। साथ ही, अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कार्य जनसुनवाई के पश्चात् अधिकतम 30 दिनों के अंदर पूर्ण किये जाने पर भी सहमति दी गयी।

परियोजना का एस0आइ0ए0 का कार्यादेश प्रथम संस्थान को एवं दूसरी परियोजना का एस0आइ0ए0 का कार्य दूसरे संस्थान को, इसी चक्रानुक्रम में S.I.A. संस्थानों को जिले का आवंटन/निर्धारण निम्नवत् किया गयाः—

SIA Agency Selection Roaster

Sl No	District Name	Agency Selection for First Project Priority Agency	Agency Selection for Second Project Priority Agency
1	Araria	ADRI	LNMI
2	Arwal	ANSISS	CIMP
3	Aurangabad	CIMP	DMI
4	Banka	DMI	CIMP
5	Begusarai	LNMI	ADRI
6	Bhagalpur	ADRI	LNMI
7	Bhojpur	ANSISS	CIMP
8	Buxar	CIMP	DMI
9	Darbhanga	DMI	CIMP
10	EastChamparan	LNMI	ADRI
11	Gaya	ADRI	LNMI
12	Gopalganj	ANSISS	CIMP
13	Jamui	CIMP	DMI
14	Jehanabad	DMI	CIMP
15	Kaimur	LNMI	ADRI
16	Katihar	ADRI	LNMI
17	Khagaria	ANSISS	CIMP
18	Kishanganj	CIMP	DMI
19	Lakhisarai	DMI	CIMP
20	Madhepura	LNMI	ADRI
21	Madhubani	ADRI	LNMI
22	Munger	ANSISS	LNMI
23	Muzaffarpur	CIMP	DMI
24	Nalanda	DMI	CIMP
25	Nawada	LNMI	ADRI
26	Patna	ADRI	LNMI
27	Purnea	ANSISS	LNMI
28	Rohtas	CIMP	DMI
29	Saharsa	DMI	CIMP
30	Samastipur	LNMI	ADRI
31	Saran	ADRI	LNMI
32	Sheikhpura	ANSISS	LNMI
33	Sheohar	CIMP	DMI
34	Sitamarhi	DMI	CIMP
35	Siwan	LNMI	ADRI
36	Supaul	ADRI	LNMI
37	Vaishali	ANSISS	LNMI
38	WestChamparan	CIMP	DMI

9. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी जिलो को इस सूची एवं दर से अवगत करा दिया जाय एवं संबंधित जिलाधिकारी सीधे उस जिले को आवंटित एजेंसी को कार्यादेश देंगे।

10. **बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।**

ह0/– **(अभिषेक प्रसाद)** आद्री	**ह0/–** **(राणा सिंह)** चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान	**ह0/–** **(गौरव मिश्रा)** विकास प्रबंधन संस्थान
ह0/– **(प्रीति सिंह)** एल0एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	**ह0/–** **(सुशील कुमार),** भू–अर्जन विशेषज्ञ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	**ह0/–** **(आजीव वत्सराज),** सहायक निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
ह0/– **(कमलेश कुमार सिंह),** निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	**ह0/–** **(गोपाल मीणा),** सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	**ह0/–** **(दीपक कुमार सिंह)** अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए.–एल.ए.एक्ट–नीति(एस.आई.ए.)खंड–"क"–11/2014–1167/रा., पटना, दिनांक–15/7/25

1– **प्रतिलिपिः**–सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– **प्रतिलिपिः**–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी समाहर्त्ता, सभी अपर समाहर्त्ता एवं सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3– **प्रतिलिपिः**–निदेशक, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, पटना/निदेशक, आद्री एवं निदेशक, एल0एन0 मिश्र, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4–**प्रतिलिपिः**–अधिशाषी अभियंता, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को (E-Mail:-ssbengineeringpatna@gmail.com)/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (EMail:-gm@ecr.railnet.gov.in)/महाप्रबंधक, उत्तर–सीमांत रेलवे, गुवाहाटी (E-Mail:-ceconnfr3@gmail.com) एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5– **प्रतिलिपिः**–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6– **प्रतिलिपिः**–आई.टी. मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने एवं वेबसाइट पर यथा स्थान सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित।

15/7/25

(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।